न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–1/258/2021 जीसीएमएससं0 2021/449 दर्ज तिथिः– 29.12.2021

1. मु0 उगन्ती देवी पत्नि श्री महेश चन्द उम्र करीब 38 वर्ष
2. मु0 गीता देवी पत्नि श्री रोशनलाल उम्र करीब 42 वर्ष
जातियान बागड़ा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. धर्मेंद्र कुमार सैनी पुत्र श्री छीतरमल सैनी उम्र करीब 35 वर्ष जाति माली (माली) निवासी ग्राम थानागाज़ी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....:असल प्रतिवादी

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री लक्ष्मण पोसवाल।
श्री जितेन्द्र पोसवाल।
प्रतिवादी अधिवक्ताः–श्री महेन्द्र शर्मा।
श्री कमलेश सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 02.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा नंबर 1091 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी संख्या 1 का हिस्सा 5/136 व वादी संख्या 2 का 5/136 तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा 63/68 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त संयुक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के पिता छीतर ने उक्त आराजी में से 0.05 है0 भूमि तरफ उत्तर दिशा के श्री मुकेश शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर कब्जा संभलवा दिया है। जिस पर खरीददार ने बाउंड्री कर बर्फ की फैक्ट्री बना ली है। वादी का प्रतिवादी के उक्त कब्जे से किसी प्रकार का लेना–देना नहीं है तथा इस प्रकार मौके पर वादी व प्रतिवादी के मध्य वहामी बंटवारा भी स्पष्ट होता है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु अहकाम जारी किया गया। उक्त अहकाम की पालना में तहसीलदार थानागाजी द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/1244 दिनांक 20.06.2024 द्वारा कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात/तकास्मा रिपोर्ट पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री कर पृथक खाता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने प्रकरण में पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 1091 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 5/68 व असल प्रतिवादीगण का हिस्सा 63/68 दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त संयुक्त आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताविक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा के विश्लेषण में तीन महत्वपूर्ण विन्दु है जो इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के वाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना भी उचित है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा नंबर 1091 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1. उगन्ती देवी पत्नी महेशचन्द हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा0 दुहार चौगान खातेदार 2. गीता देवी पत्नी रोशनलाल हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा0 दुहार चौगान खातेदार	1091/1	0.0500 है0	चाही द्वितीय
कुल किता 01 रकबा 0.0500 है0			
धर्मेन्द कुमार सैनी पुत्र छीतरनल सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार	1091/2	0.63 है0	चाही द्वितीय
कुल किता 01 रकबा 0.63 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(प्रिंकी आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –प्रिंकी आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–1/258/2021 जीसीएमएससं0 2021/449 दर्ज तिथिः– 29.12.2021

1. मु0 उगन्ती देवी पत्नि श्री महेश चन्द उम्र करीब 38 वर्ष
2. मु0 गीता देवी पत्नि श्री रोशनलाल उम्र करीब 42 वर्ष
   जातियान बागड़ा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. धर्मेंद्र कुमार सैनी पुत्र श्री छीतरमल सैनी उम्र करीब 35 वर्ष जाति माली (माली) निवासी ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल प्रतिवादी

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री लक्ष्मण पोसवाल।
श्री मुरारीलाल।
प्रतिवादी अधिवक्ताः–श्री कमलेश सैनी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

=:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खसरा नंबर 1091 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज0

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
3. उगन्ती देवी पत्नी महेशचन्द हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा0 दुहार चौगान खातेदार 4. गीता देवी पत्नी रोशनलाल हिस्सा 1/2 जाति बागडा ब्राह्मण सा0 दुहार चौगान खातेदार	1091/1	0.0500 है0	चाही द्वितीय
कुल किता 01 रकबा 0.0500 है0			
धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र छीतरमल सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 देह खातेदार	1091/2	0.63 है0	चाही द्वितीय
कुल किता 01 रकबा 0.63 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

पर्चा डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 02.05.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पिंकी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०